

व्यक्तित्व अधिकार

प्रलिस के लयः

प्रसनैलटी राइट्स, [नजिता का अधिकार](#), [अनुच्छेद 21](#), [कृत्रमि बुद्धमितता \(AI\)](#) ।

मेन्स के लयः

सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, [नैनो-प्रौद्योगिकी](#), जैव-प्रौद्योगिकी और [बौद्धिक संपदा अधिकारों](#) से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हॉलीवुड एक्ट्रेस और OpenAI के बीच हालिया विवाद [आर्टफिशियल इंटेलिजेंस \(AI\)](#) मॉडल के संदर्भ में प्रसनैलटी राइट्स के महत्त्व को उजागर करता है ।

- अभिनेत्री ने [ChatGPT](#) की [कृत्रमि बुद्धमितता](#) कंपनी OpenAI पर उसकी आवाज़ का उपयोग करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने पहले कंपनी के CEO के लाइसेंस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था ।
- इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की थी, जिसमें [ChatGPT](#) सहित AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये इसकी कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया था ।

प्रसनैलटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) क्या हैं?

परचियः

- [प्रसनैलटी राइट्स](#) से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है, जो नजिता या संपत्तिके व्यापक अधिकार का एक हिस्सा है ।
- ये अधिकार किसी सेलब्रिटी के सार्वजनिक व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं, जिसमें उसका नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवि, वशिष्ट वशिषताएँ, तौर-तरीके, मुद्राएँ आदि शामिल होते हैं ।

प्रकारः

नजिता का अधिकारः

- यह किसी व्यक्ति के [व्यक्तगत जानकारी और मामलों](#) पर नियंत्रण की रक्षा करता है ।
- यह [व्यक्तगत विवरणों के अनधिकृत प्रकटीकरण या किसी के नजिी जीवन में हस्तक्षेप](#) को रोकता है ।
- [पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017](#) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इसकी पुष्टि की गई है ।

प्रचार का अधिकारः

- इससे व्यक्तियों को अपने [नाम, छवि, समानता या अन्य पहचान योग्य वशिषताओं](#) के [व्यावसायिक उपयोग](#) पर नियंत्रण मिलता है ।
- वे चुन सकते हैं कि उनकी पहचान के इन पहलुओं का उपयोग उत्पाद समर्थन या वजिज्ञापन के लिये कैसे किया जाए अथवा नहीं किया जाए ।

महत्त्वः

- ये अधिकार मशहूर हस्तियों के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विभिन्न कंपनियों अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये विभिन्न वजिज्ञापनों में उनके नाम, फोटो या यहाँ तक कि आवाज़ का सरलता से दुरुपयोग कर सकती हैं ।

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों की क्या स्थिति है?

- यद्यपि भारतीय कानूनों में व्यक्तिगत अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी उन्हें नजिता और संपत्ति अधिकार से संबंधित सदिधांतों के माध्यम से संरक्षित किया गया है।
- प्रमुख कानूनी प्रावधान:
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:
 - यद्यपि व्यक्तिगत अधिकारों के लिये कोई विशिष्ट कानून नहीं है, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 21 में नजिता का अधिकार भारत में नकिटतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
 - कॉपीराइट अधिनियम, 1957:
 - कॉपीराइट अधिनियम 1957, हालाँकि प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत अधिकारों को संबोधित नहीं करता है, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR) मामलों में "पासगि ऑफ (Passing off)" और "धोखा" जैसी अवधारणाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करता है।
 - "पासगि ऑफ" तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने सामान या सेवाओं को किसी और का बताकर मथियापूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है।
 - यह व्यक्तिगत अधिकारों के लिये प्रासंगिक हो सकता है, यदा:
 - कोई व्यक्ति किसी सेलब्रिटी के नाम या छवि का उपयोग किसी उत्पाद के प्रचार के लिये उनकी अनुमति के बिना करता है, जिससे आम जनता में यह धारणा बनती है कि सेलब्रिटी उस उत्पाद से जुड़ा हुआ है।
 - कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से इतना मलिता-जुलता चरित्र या छवि निर्मित कर देता है कि जनता को यह भ्रम हो जाता है कि यह वास्तविक व्यक्ति है।
 - धोखा तब होता है जब कोई, किसी व्यक्ति के नाम या छवि का उपयोग धोखाधड़ी या किसी को गुमराह करने के उद्देश्य से करता है, कॉपीराइट उल्लंघन का तर्क देना संभव हो सकता है, विशेषकर यदा उपयोग व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाता है।
 - भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999:
 - धारा 14 व्यक्तिगत नाम और प्रतिनिधित्व के उपयोग को प्रतिबंधित करती है।
 - न्यायालय के नरिणय:
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सार्वजनिक हस्तियों को भी प्रचार का समान अधिकार है। न्यायालय ने इस बात पुष्ट की कि प्रचार के अधिकार वरिसत में मलिते हैं और उन्हें वभिजित किया जा सकता है।
 - 2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रचार का अधिकार नजिता के अधिकार से अलग है।
 - न्यायालय ने यह भी कहा कि नाम, व्यक्तिगत पहचानकर्त्ता होने के अलावा, अपना विशिष्ट महत्त्व भी प्राप्त कर सकता है।
 - 2011 मामले में दलिली उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि इंटरनेट पर भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी वास्तविक जीवन में।
 - न्यायालयों ने प्रचार के अधिकार को मान्यता दी है, जिससे मशहूर हस्तियों को अपने नाम, छवि और व्यक्तिगत को अनधिकृत उपयोग से बचाने की अनुमति मिलती है।
 - उदाहरण:
 - मई 2024 में दलिली उच्च न्यायालय ने जैकी श्रॉफ के व्यक्तिगत और प्रचार अधिकारों को बरकरार रखा तथा वभिनिन ई-कॉमर्स स्टोर, AI चैटबॉट्स (AI Chatbots) व अन्य को अभिनैता की सहमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज़ एवं समानता का उपयोग करने से रोक दिया।
 - इसी तरह, सितंबर 2023 में अभिनैता अनलि कपूर को भी उनके चित्राधिकार या छवि अधिकार हेतु कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ।
 - दलिली उच्च न्यायालय ने 16 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें वाणज्यिक उद्देश्यों के लिये उनके नाम, छवि या प्रतिरूप का उपयोग करने से रोक दिया।
 - वर्ष 2010 में 2010 के मामले में, दलेर मेहंदी की कंपनी दलिली उच्च न्यायालय में वजियी हुई। यह मामला दलेर मेहंदी की शकल की नकल करके उनके गाने गाने वाली गुड़िया बेचने वाली दुकानों से जुड़ा था।
 - न्यायालय ने मेहंदी के अपनी सार्वजनिक छवि को व्यावसायिक रूप से नथितरति करने के अधिकार को बरकरार रखा।

भारत में AI वनियमन की स्थिति क्या है?

- भारत में AI के लिये कोई विशिष्ट वनियमन नहीं:
 - वर्तमान में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) के लिये कोई विशिष्ट वनियमन नहीं है।
 - लेकिन समय-समय पर वभिनिन सलाह, दशानरिदेश और IT नथिमों ने भारत में AI, जनरेटिव AI तथा लारज लैंग्वेज मॉडल (LLM) की उन्नति के लिये कानूनी पर्यवेक्षण प्रदान किया है।
- नीति आयोग का नेतृत्व:
 - वर्ष 2018 में नीति आयोग ने "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये राष्ट्रीय रणनीति #AIForAll" जारी की, जिसमें स्वास्थय सेवा, कृषि, शकषा और स्मार्ट बुनयिदी ढाँचे में AI के वकिस एवं तैनाती की रूपरेखा तैयार की गई।
- डेटा सुरक्षा एवं वैश्विक सहयोग:
 - हाल ही में अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, (2023) सरकार को AI के उपयोग से उत्पन्न नजिता संबंधी

चर्चाओं को दूर करने का अधिकार देता है।

- इसके अतिरिक्त, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (Global Partnership on Artificial Intelligence- GPAI)** में भारत की सदस्यता **जर्मिंदार AI** विकास, डेटा गवर्नेंस और नैतिक विचारों पर सहयोग को बढ़ावा देती है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- ⊕ नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- ⊕ आर्थिक विकास।
- ⊕ रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- ⊕ व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- ⊕ WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - ⊕ औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - ⊕ साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- ⊕ विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - ⊕ सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - ⊕ विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- ⊕ बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - ⊕ पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- ⊕ मर्रिकेश VIP समझौता, 2016:
 - ⊕ दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- ⊕ IPR को **अनुच्छेद 27** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- ⊕ **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:**
 - ⊕ **आदर्श वाक्य:** "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ⊕ ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - ⊕ सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - ⊕ नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- ⊕ राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- ⊕ बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

दृष्टि भिन्न प्रश्न:

प्रश्न. भारत में व्यक्तिगत अधिकारों के लिये कानूनी ढाँचे पर चर्चा कीजिये। अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ उन्हें सामंजस्य स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न 1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में नमिनलखिति में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

प्रश्न 3. विकास की वर्तमान स्थिति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) नमिनलखिति में से किस

- 1. कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)
- 2. औद्योगिक इकाइयों में वदियुत् की खपत कम करना
- 3. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना
- 4. रोगों का नदिन
- 5. टेक्स्ट से स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन
- 6. वदियुत् ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1,2,3 और 5
- (b) केवल 1,3 और 4
- (c) केवल 2,4 और 5
- (d) 1,2,3,4 और 5

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकदमेबाजी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजिये। (2014)